न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी

पीठासीन अधिकारी:— श्री हरजी लाल अटल (आई.र.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 51 / 2024

अपीलांट

1. नरूराम पुत्र श्री रावतराम जाति जाट, निवासी सांवरीज तहसील फलौदी, जिला फलौदी

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. दीपाराम पुत्र रावतराम
2. कुम्भाराम पुत्र रूगनाथराम
3. गंगाराम पुत्र रूगनाथराम
4. गोकुलराम पुत्र रूगनाथराम
5. संतोष पुत्र रूगनाथराम
6. पेम्पा पत्नि रूगनाथराम
7. जेठाराम पुत्र पदमाराम
8. मूलाराम पुत्र खुमाराम सभी जाति जाट, निवासी सांवरीज तहसील फलौदी
9. इलमदीन पुत्र जमे खां जाति मुसलमान निवासी मोखेरी, तहसील फलौदी जिला फलौदी
10. अचलाराम पुत्र भीखाराम
11. नरूराम पुत्र बिडदाराम
12. भूराराम पुत्र बिडदाराम
13. शंभुराम पुत्र बिडदाराम
14. गेमी पत्नि मांगीलाल
15. कौशल्या पुत्री मांगीलाल
16. खुशबु पुत्री मांगीलाल
17. गेगा पुत्री मांगीलाल
18. मैना पुत्री मांगीलाल
19. महेन्द्र पुत्र मांगीलाल प्रतिवादी संख्या 16 से 19 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गोमी पत्नि मांगीलाल जाति जाट निवासी सांवरीज तहसील फलौदी
20. मोतीराम पुत्र सांगाराम
21. मोहनराम पुत्र सांगाराम
22. लक्ष्मणराम पुत्र सांगाराम
23. हेमी पत्नि सांगाराम
24. गंगादेवी पुत्री सांगाराम
25. धापु देवी पुत्री सांगाराम
26. मगनी पुत्री सांगाराम
27. हीरादेवी पुत्री सांगाराम
28. फुलीदेवी पुत्री सांगाराम
29. जसु चौधरी पुत्री पपुराम

जिला कलक्टर फलोदी

30. निरमा पुत्री पपुराम
31. प्रेम पुत्र पपुराम
32. मुकेश पुत्र पपुराम रेस्पोडेण्ट संख्या 29 से 32 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता फुलीदेवी पत्नि पपुराम जाति जाट निवासी सांवरीज तहसील फलौदी जिला फलौदी
33. परमाराम पुत्र लालाराम
34. आशाराम पुत्र लालाराम
35. मीरा पत्नि लालाराम
36. अणची पुत्री लालाराम
37. कौशल्या पुत्री चुतराराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अणची पत्नि चुतराराम जाति जाट निवासी सांवरीज तहसील फलौदी
38. भोमाराम पुत्र चुतराराम
39. वीरा पत्नि हरजीराम
40. गणपतराम पुत्र हरजीराम
41. बुधाराम पुत्र चुनाराम
42. सुखाराम पुत्र चुनाराम
43. देवी पत्नि ईशराराम
44. माधाराम पुत्र ईशराराम
45. माणकराम पुत्र ईशाराम रेस्पोडेण्टस संख्या 44 व 45 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता देवी पत्नि ईशराराम जाति जाट निवासी सांवरीज तहसील फलौदी
46. पपुदेवी पत्नि लक्ष्मणराम
47. फुलीदेवी पत्नि लक्ष्मणराम सभी जाति जाट निवासी सांवरीज तहसील फलौदी
48. श्री तहसीलदार फलौदी
49. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक शाखा फलौदी
50. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा फलौदी
51. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा फलौदी
52. शाखा प्रबन्धक, रा.म.ग्रामीण बैंक शाखा फलौदी

जिला कलक्टर
फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व बंटवाड़ा क्रमांक 2024/2889 दिनांक 31.05.2025 बनराजगी आदेश तहसीलदार, फलौदी

उपस्थित वकील –:
अपीलाण्ट् की ओर से– अधिवक्ता श्री प्रवीण मदरेणा उपस्थित।
रेस्पोडेण्ट्स सं. 1,2,7,10 ता 13 एंव 21 की ओर से:– अधिवक्ता श्री सिकन्दर घोषी व अन्य उपस्थित।
रेस्पोडेण्टस संख्या 48 की ओर से :– तहसीलदार स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक:– 23/7/2025

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाडा क्रमांक 2024/2889 दिनांक 31.05.2024 को तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित आदेश के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि ग्राम सांवरीज के खेत खसरा संख्या 503 रकबा 9.3725 हैक्टयर, खसरा संख्या 503/2 रकबा 1.1939 हैक्टयर, खसरा संख्या 504 रकबा 1.3759 हैक्टयर, खसरा संख्या 509 रकबा 25.9079 हैक्टयर, खसरा संख्या 505 रकबा 0.1535 हैक्टयर, खसरा संख्या 506 रकबा 0.04505 हैक्टयर, खसरा संख्या 560 रकबा 0.1052 हैक्टयर, खसरा संख्या 508 रकबा 0.1133 हैक्टयर, खसरा संख्या 510 रकबा 10.4490 हैक्टयर, खसरा संख्या 533 रकबा 5.0209 हैक्टयर भूमि खातेदार की थी। उपरोक्त खसरान के अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस सामलाती खातेदार होने से आपसी सहमति बंटवाडा तहसीलदार, फलौदी के समक्ष पेश किया जिसमें अपीलांट को गुमराम कर नजरी नक्शा की स्थिति स्पष्ट न कर बंटवाड़ा प्रस्तुत किया जो निरस्त योग्य होने पर अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। जिसकी डाक रसीद एवं ट्रेकिंग रिपोर्ट अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। रेस्पोडेण्टस द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर रेस्पोडेण्टस संख्या 01 ता 47 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेण्टस संख्या संख्या 1,2,7,10 ता 13 व 21 द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री सिकन्दर घोषी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. वास्ते एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने का पेश किया गया। उभयपक्ष को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। तहसीलदार फलौदी से मूल बंटवाड़ा तलब किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

जिला कलक्टर
फलौदी

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेण्टस ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा करते वक्त खेत में अपीलांट का हिस्सा 2 जगह रखा जबकि अपीलांट मौके पर एक ही जगह खसरा संख्या 503 510 में काश्त करता आ रहा है एवं मौके पर आपसी सहमति से ही कब्जा काश्त है जबकि बंटवाडा पेश करते वक्त अपीलांट को गुमराह कर हस्ताक्षर करवाये। उस वक्त नक्शा में लाईन खींची हुई नहीं थी अपीलांट को मौके पर से कब्जा अनुसार हिस्सा नही देकर रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ने बदयान्तिपूर्वक अपने हिस्से की भूमि को एक जगह रखने के लिय मौके क विरूद्व यह बंटवाडा पेश किया है। उक्त बंटवाड़ा में राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार भी समस्त खातेदारों को रास्ते का अधिकार नहीं दिया गया है। जबकि राजस्व मण्डल के नियमानुसार सभी खातेदारों को रास्ता उपलब्ध करवाना अनिवाये है। खसरा संख्या 506, 507, 508 की भूमि मोतीराम वगैरह की रखी गई जबकि मौके पर उक्त ढाणियां रेस्पोडेण्टस संख्या 46 व 47 के हिस्से में दर्शाई गई है, जो विधिसम्मत नहीं है। खातेदारी भूमि में अपीलांट व रेस्पोडेण्टस का हिस्सा बराबर–बराबर हैं। परन्तु बंटवाडा में दोनों का हिस्सा अलग–अलग रखकर अपीलांट की भूमि कम करने की कोशिश की गई है। अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्व, खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस अपनी बहस में बताया कि बंटवाडा दिनांक 24.04.2025 को लिखाकर उसकी पालना राजस्व अभिलेख में होने के बाद अपीलांट एवं रेस्पोडेण्टस के बंट में आने वाली भूमि की चौसाला जमाबंदी एवं बंटवाडा की पालना में की गई मौका पर कब्जा काश्त के माफिक नजरी नक्शा के अनुसार बंटवाडानामा प्रस्तुत किया गया। सभी सहखातेदारों ने इकरारनामा विभाजन एवं नजरी नक्शा अनुसार अपना–अपना कब्जा एवं हिस्सा स्वीकार किया गया था। सभी सहखातेदारो द्वारा सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर/ अंगुष्ठ निशान कर विभाजन प्रस्ताव पर स्वीकार किया गया। सहमति के आधार पर किया गया बंटवाड़ा की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

6. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट प्रार्थी अभिभाषक का अभिकथन है कि अपीलांट अनपढ़ होने से अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवाने परसहमति दी थी परन्तु बंटवाडा के साथ नजरी नक्शा नहीं होने से खाली नक्शा पर हस्ताक्षर करवाये थे जिसमें लाईन खींची हुई नहीं थी मौके से हटकर बंटवाड़ा की लाईन खींचकर अपीलांट की भूमि एक जगह के साथ पर अलग–अलग खसरा में कर दी जो गलत है। उक्त बंटवाडा की जानकारी दिनांक 10.09.2024 को हल्का पटवारी से मिलने पर हुई उससे पूर्व गलत तरमीम की जानकारी अपीलांट को किसी स्त्रोत से नहीं थी। अपील में हुई देरी कन्डोन की जाकर अपील अन्दर म्याद सुमार की जाकर तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित बंटवाडानामा को खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेण्टस के अधिवक्ता द्वारा अधिनियम पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

जिला कलक्टर
फलौदी

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार फलौदी के समक्ष हुए बंटवाड़ानामा का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि बंटवाड़ा की गई भूमि का मौके अनुसार विभाजन संलग्न नजरी नक्शा में प्रदर्शित अनुसार तहसीलदार फलौदी के समक्ष समस्त खातेदारान की पूर्ण सहमति एवं स्वीकृति के बाद पेश किया गया था। उक्त बंटवाड़ानामा में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना–अपना कब्जा एवं हक हिस्सा होना स्वीकार किया गया है। एवं सहमति स्वरूप सभी खातेदारो ने हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान किये गये है।

8. अभिभाषक अपीलांट का तर्क यह है कि अपीलांट व रेस्पोडेण्टस ने आपसी सहमति का बंटवाड़ा करते वक्त खेत में अपीलांट का हिस्सा दो जगह रखा जबकि अपीलांट मौके पर एक ही जगह खसरा संख्या 503, 510 में काश्त करता आ रहा है एवं मौके पर आपसी सहमति से ही काबिज काश्त है। जबकि बंटवाड़ा पेश करते वक्त अपीलांट को गुमराह कर हस्ताक्षर करवाते वक्त नक्शा में लाईन खीचीं हुई नहीं होना बताया है। अपीलांट के तर्क पर न्यायालय का अभिमत है कि सभी खातेदारान के माफिक लिखित इकरार विभाजन एवं संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा होना स्वीकार एवं सहमति के पश्चात ही बंटवाडा आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का यह तथ्य आधारहीन होने के पश्चात खारिज योग्य पाया जाता है।

9. अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि बंटवाडा राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार भी नही होने से निरस्त योग्य है क्योंकि खसरा संख्या 509 के समस्त खातेदारों को रास्ते का अधिकार नहीं दिया गया है जबकि राजस्व मंडल के नियमानुसार सभी खातेदारों को रास्ता उपलब्ध करावाना अनिवार्य है। इस तथ्य पर न्यायालय का अभिमत है कि समस्त खातेदारों द्वारा सहमति एंव नजरी नक्शा अनुसार बंडवाडानामा आदेश पारित किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में धारा 251 ए के तहत रास्ता प्राप्त करने का प्रावधान है। तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित आलौच्य आदेश में सभी सहखातेदारो द्वारा आपत्ति पेश नहीं करने को देखते हुए अपीलांट का तथ्य न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

10. अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि बंटवाड़ा में अपीलांट व रेस्पोडेण्टस का हिस्सा बराबर है परन्तु बंटवाड़ा में दोनों का हिस्सा अलग–अलग रखकर अपीलांट की भूमि कम करने की कोशिश की गई है। बंटवाडे के जरिये अपीलांट की भूमि कम नहीं की जा सकती इसलिए भी उक्त बंटवाड़ा निरस्त योग्य है। इस तथ्य पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार फलौदी से प्राप्त मूल बंटवाड़ानामा का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया अपीलांट का यह तथ्य सारहीन प्रकट होता है।

11. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में सहमति एवं स्वीकृति के आधार पर बंटवाडानामा पारित निर्णय से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधि की पूर्णत पालना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व

जिला कलक्टर
फलौदी

अपीलांट को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो। तहसीलदार फलौदी से प्राप्त मूल रिकार्ड को प्रतिप्रेषित किया जावें।

13.

निर्णय आज दिनांक 23/7/25 सरेइजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
फलौदी

श्वेता चौहान
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी

जिला कलक्टर
फलौदी